न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 87/22 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2022/266

1. श्रीमती केसी पुत्री भगवान पत्नी जयचन्द जाट निवासी रूण्डेडा तहसील वल्लभनगर।
2. श्रीमती मांगीबाई पुत्री भगवान पत्नी जसु जाट निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी रूपा जाट निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
2. श्री भेरूलाल पिता रूपा जाट निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
3. श्रीमती कालीबाई पत्नी छोगापुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
4. श्री गणेशपुरी पिता किशनपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
5. श्री गौरव पिता राजुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
6. श्री छगनपुरी पिता कैलाशपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
7. श्रीमती जमनादेवी पत्नी राजुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
8. श्री नन्दपुरी पिता कैलाशपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
9. श्रीमती भगवतीबाई पत्नी माधुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
10. श्रीमती मंजु पुत्री माधुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
11. श्री मंशापुरी पिता किशनपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
12. श्रीमती मोनिका पुत्री राजुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
13. श्री विनोद पिता माधुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
14. श्री शंकरपुरी पिता किशनपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
15. श्री सुरेश पुरी पिता माधुपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
16. श्रीमती सोसर पुत्री किशनपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
17. श्री हिरपुरी पिता किशनपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
18. श्री जगदीश पिता गोटु लौहार निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
19. श्री माधवपुरी पिता कैलाशपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
20. श्रीमती रेखा पत्नी गोपीलाल लौहार निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
21. श्रीमती रतनी पत्नी केशुराम लौहार निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
22. श्रीमती राजीबाई पत्नी गणेशपुरी गोस्वामी निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 27.01.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ढुंढिया फलकार हल्का ढुंढिया तहसील मावली की आराजी

नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर उक्त आराजीयात में वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण की जमीन के पूर्वी दिशा में विपक्षी सख्या–01 व 02 (आराजी नम्बर–364) की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। हम प्रार्थीगण की जमीन के पश्चिमी दिशा में विपक्षी सख्या–04 से लगायत 17 (आराजी नम्बर–361) तक एवं विपक्षी सख्या–04, 06, 08, 11, 14 एवं विपक्षी सख्या–17 से लगायत 22 तक (आराजी नम्बर–362) एवं हम प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा में आराजी नम्बर–336 किस्म रास्ता जो विपक्षी सख्या–23 के नाम पर तथा हम प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण दिशा में विपक्षी सख्या–01 से 03 तक (आराजी नम्बर–368) की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात विपक्षीगण की कृषि भूमि से आपस में सटमा होने से विपक्षीगण सीमा को लेकर आये दिन हम प्रार्थीगण से विवाद करते रहते है जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नही है। विपक्षीगण के उपरोक्त कृत्य से प्रार्थीगण परेशान रहती है। चूंकि प्रार्थीगण महिला होकर शांति प्रिय है तथा विपक्षीगण से रोज रोज सरहद को लेकर प्रार्थीगण का विवाद होता रहता है इसलिये प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के खेतो के मध्य पक्की पुख्ता पत्थर गढ़ी कराना आवश्यक है, ताकि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज–रोज होने वाले विवादो को रोका जा सकें। प्रार्थीगण की आराजीयात के चारो दिशाओ में विपक्षीगण की स्थित आराजीयात की पत्थर गढ़ी कराना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की स्वामीनी एवं आधिपत्यधारी होने से हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है, तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. यह कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को दिनांक 08.06.2022 को सीमा जानकारी हेतु पटवारी साहब मौके पर आये किन्तु मौके पर विवाद होने से पटवारी साहब ने सीमा जानकारी करने से इन्कार कर दिया एवं पत्थर गढ़ी का आदेश न्यायालय आपसे लाकर पत्थरगढी कराने हेतु कहा, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक–08.06.2022 को पैदा होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

4. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना–पत्र की कलम सख्या–1 में किया गया है की चारो दिशाओ में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि के मध्य पत्थर गढ़ी का आदेश प्रदान करवाया जावें एवं विपक्षीगण को इस बात के लिये पांबद किया जावें की वे हम प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें, ताईद में शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:23 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 से 7, 11, 12, 17, 21, 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 23 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत् निवेदन करने से इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

8. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:23 IST
Reason: SelfAttested